(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2991–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–07–2015 पारित द्वारा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 16/2014–15/अ–12.

.....

1. सियाशरण
2. अरूण कुमार पुत्रगण सिकंदर सिंह लोधी
   निवासी सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी
3. श्रीमती ऊषा साहू पत्नी राजेश साहू
   निवासी दिनारा हाल निवास–दिनारा
   सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी
   म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. महिला दुरगिया पत्नी मुलायम सिंह
   हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम सिल्लारपुर
2. मीरा देवी पत्नी नारायण प्रसाद
3. इन्द्रा देवी पत्नी सालिकराम
4. रजनी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद
   हिस्सा 1/2 निवासी कस्ता करैरा,
   ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा जिला
   शिवपुरी म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 फरवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार करैरा जिला

शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक दुरगिया आदि द्वारा ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 375, 376, 408, 416, 420, 421, एवं 934 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 23–5–15 को सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रेषित किया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक सियाशरण ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर आदेश दिनांक 15–7–15 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सभी सीमावर्ती कृषकों को बिना सूचना दिये सीमांकन करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन में कोई चतुर्सीमांए नही समझाई गई है और न ही मौके पर किसी प्रकार के कोई पत्थर सीमाचिन्ह दर्शाय जाने हेतु गाडे गये हैं। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्यिां निरस्त किये जाने का कोई उचित व पर्याप्त कारण विवादित आदेश में दर्शित नहीं किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का विवादित आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सभी सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया है। सीमांकन प्रतिवेदन, स्कीद मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत सीमांकन की पुष्टि की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रस्तुत किया। अभिलेख में सीमांकन हेतु किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी सरहदी कृषक को सीमांकन की पूर्व सूचना दी गई हो। इस संबंध में किसी प्रकार के आदेश आदेश पत्रिका पर भी अंकित नहीं है। फील्डबुक भी तैयार नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया गया है। जहां तक आवेदकगण की आपत्ति का निराकरण करने संबंधी तर्क का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति का कारण सहित निराकरण न करते हुये मात्र अवलोकन उपरांत आपत्ति निरस्त करने संबंधी निष्कर्ष निकाला है। आपत्ति का सकारण निष्कर्ष निकाला जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक होता है। सीमांकन प्रकिया दोषपूर्ण होने से एवं तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति पर सकारण आदेश पारित नहीं करने से तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करैरा का आदेश दिनांक 15–7–2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सीमावर्ती कृषकों को पूर्व सूचना देने के उपरांत संहिता की धारा 129 में दर्शाये नियमों का पालन करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जाये।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर